न्यायालयः— उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 243/2016 वाद
जीसीएमएस आईडी— 2022/01236

श्रीमती नानी बाई पुत्री जोधा मीणा, जाति मीणा, आयु 74 साल, निवासी खेडी आर्यनगर, बसेड़ा, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।

—वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।
2. श्रीमान जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ़।
3. दशरथ पिता जगदीश आंजना, आयु वयस्क, निवासी नरसाखेडी।
4. कालूराम पिता जगदीश आंजना, आयु वयस्क, निवासी नरसाखेडी।
5. लालूराम पिता भाना जटिया, आयु वयस्क, निवासी नरसाखेडी।
6. कन्हैयालाल पिता लालूराम जटिया, आयु वयस्क, निवासी नरसाखेडी।

—प्रतिवादीगण

दावा 88, 188, 209 राज0का0अधिनियम
श्री आशाराम प्रजापत, अधिवक्ता वादीग, उपस्थित
पैरोकार सरकार उपस्थित
::निर्णयः: दिनांक 07.09.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक दावा 88, 188, 209राज0का0अधि0 का इस आशय का पेश किया कि वाके मौजा नरसाखेडी की आराजी नं. 326 जो कि बिलानाम सरकार होकर लगभग 50—60 बीघा आराजीयात राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर लगभग 40—50 साल से राजस्थान सरकार के नाम दर्ज चली आ रही है। इसमें से 5 बीघा भूमि वादीया को दर्ज की गई थी। जिसके आराजी नं. बाद में 470/326 दर्ज होकर वादीया की गैर खातेदारी में दर्ज हुई थी। वक्त आवंटन से ही कब्जा वादीया का चला आ रहा था। नवीन सेटलमेण्ट में इस आराजी का नम्बर 592 रकबा 1.2600 हैक्टेयर बना। इसी प्रकार आराजी नं. 326 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वादीया के सरकारी भूमि पर वादीया का कब्जा चला आ रहा है। मुख्य विवाद इसी भूमि का है। वर्तमान में मौके अनुसार सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा सही तरमीम नहीं की गई तथा गलत स्थान पर दर्शा दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

वादीया ने तरमीम शुद्धि हेतु माननीय न्यायालय आप में एक नक्शा शुद्धि का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 162/2014 बउनवान नानी बाई मीणा बनाम तहसीलदार निम्बाहेड़ा दर्ज करवाया। उक्त मुकदमा दिनांक 12.03.2015 को शिविर निम्बाहेड़ा में रखा गया तथा बाद में मिला ही नही। वादीया ने पुनः इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 2605ए/2016 पर दर्ज होकर दिदनांक 16.08.2016 को विपक्षी के जवाब में नियत है। विपक्षीगण को भी इस त्रूटि की जानकारी थी परन्तु गलत नियत से त्रूटि का फायदा उठाने के लिए लालूराम पिता भाना जटिया ने पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 47/2016 प्रस्तुत किया जिसमें वादीया ने जवाब भी प्रस्तुत किया परन्तु जवाब का हवाला फर्द अहकाम में नहीं दिया जाकर दिनांक 05.05.2016 को पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा आदेश की पालना में दिनांक 03.06.2016 को पत्थरगढ़ी भी करवाई गई जो गलत है। आराजी नं. 326 मीन बिलानाम सरकार जमीन है जिस पर काफी लागत लगाकर वादीया ने उपजाउ बनाया है परन्तु प्रतिवादीगण वादीया को बेदखल करने पर आमदा हैं। वादीया एडवर्स पजेशन के आधार पर धारा 63(4) के अनुसार 40 वर्ष से लगातार कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का दावा डिक्री किया जावे तथा आराजी नं. 326मीन जिसका रकबा लगभग पोने चार बीघा है, बिलानाम सरकार भूमि को वादीया की खातेदारी की घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की ग्राम नरसाखेडी की आराजी नं. 326 मीन रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के नाम बिलानाम मगरी दर्ज रेकार्ड थी जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 12.01.2005 से माननीय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़ के आदेश क्रमांक/सामान्य/सा/प्र.आ./12–6/23704/2105 दिनांक 21.12.2004 की पालना में बिलानाम से चरनोट दर्ज की गई। वादीया का कब्जा चरनोट भूमि पर है। वादीया की भूमि का कोई गलत इन्द्राज नहीं हुआ है। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 162/2014 धारा 136 का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से राजस्व न्यायालय द्वारा खारीज किया गया था जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है। चरनोट भूमि पर कब्जा बताकर वादीया घोषणा की सहायता प्राप्त करना चाहती है जो कानूनन सम्भव नहीं है। पत्थरगढ़ी के प्रकरण संख्या 47/2016 में दिनांक 05.05.2016 को हुए आदेश में वादीया का कब्जा नहीं पाया जाना वादीया स्वीकार करती है। इस प्रकार चरनोट भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। वादीया का दावा निरस्त योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1– तनकी नं. 1:– आया वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि आराजी नं. 326 मीन के सवा तीन से पोने चार बीघा रकबे पर वादीया का लगातार 40 साल से कब्जा चला आ रहा है और वादीया एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त भूमि अपनी खातेदारी की घोषित कराने की अधिकारी है?

– जिम्मे वादीया

2– तनकी नं. 2:– आया वादीया प्रतिवादीगण को साबिक आराजी नं. 326 मी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है?

– जिम्मे वादीया

3– तनकी नं. 3:– आया प्रतिवाद पत्र में वर्णित अनुसार साबिक आराजी नं. 326 मी चरनोट भूमि होने से वादीया खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

– जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

4– तनकी नं. 4:– आया वादीया का इस भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रकरण इसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाने से वादीया यह वाद प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है?

– जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

5– सहायता एवं व्यय।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया ने नकल जमाबन्दी संवत 2060–63 ग्राम नरसाखेडी की खाता संख्या 1 प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी ग्राम नरसाखेडी संवत 2060–63 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2052–55 ग्राम नरसाखेडी की खाता संख्या 1 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम नरसाखेडी की खाता संख्या 164 प्रदर्श– 4, फर्द अहकाम माननीय न्यायालय अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, निम्बाहेड़ा के प्रकरण संख्या 425/2014 की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5, पुलिस विभाग की एफ.आर. संख्या 91/2016 दिनांक 22.08.2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 6, प्रोस्टेट पिटीशन प्रदर्श–7, एफआईआर संख्या 425/14 प्रदर्श–8, न्यायालय आदेशिका प्रदर्श–9, इस्तगासा प्रदर्श– 10, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श–11, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के प्रकरण संख्या 91/2017 की आदेशिका प्रदर्श– 12, अपील की छायाप्रति प्रदर्श– 13, इस्तगासा प्रदर्श– 14, एफ0आर0 प्रदर्श– 15, एवं 16, पुलिस अधीक्षक का पत्रांक/15870–71 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 17, महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज का पत्रांक/7729–30 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 18, पत्रांक/ 940 की छायाप्रति प्रदर्श– 19, जगदीश लाल आंजना की आवेदन पत्र की छायाप्रति प्रदर्श– 20, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श– 21, अविविनिलि का फार्म प्रदर्श– 22, नकल जमाबन्दी

संवत 2070–73 ग्राम नरसाखेडी की खाता संख्या 79 प्रदर्श– 23 की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादीया पीडब्ल्यु–1, कारूलाल पिता नारायण सिंह रावत पीडब्ल्यु–2, भगवानलाल पिता देवा मेघवाल पीडब्ल्यु–3, मांगु सिंह पिता रामा राजपुत पीडब्ल्यु–4, मनोहर पिता नारायण रावत पीडब्ल्यु–5, बंशीलाल पिता मेघा पीडब्ल्यु–6 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा बयान करवाये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। साक्ष्य व गवाही के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

1– **तनकी नं. 1**:– इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। वादीया द्वारा अपने पक्ष को साबित करने के लिए प्रदर्श–1 से 23 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जबकि मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यु–1 से 6 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं और बयान करवाये हैं। वादीय विवादित भूमि आराजी नं. 326मी के पौने चार बीघा पर अपना कब्जा बताती है। उक्त भूमि पूर्व में बिलानाम सरकार रही है परन्तु वर्ष 2005 में राजकीय आदेश से उक्त भूमि चारागाह दर्ज हुई है। प्रदर्श–1 में उक्त भूमि के चारागाह में दर्ज होने का अंकन है। मुख्य विवाद वादीया इसी भूमि का बताती है। चारागाह भूमि पर वादीया द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा की सहायता चाही गई है जो विधिक रूप से दिया जाना सम्भव नहीं है। वादीया द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में धारा 136 का प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया तथा पत्थरगढी के आदेश की पालना में वादीया का कब्जा भी प्रकट नहीं हुआ है। अन्य सभी प्रस्तुत दस्तावेज वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य फौजदारी मुकदमात के दस्तावेज हैं। इस प्रकार वादीया तनकी नं. 1 को साबित करने में असफल रही है। चारागाह भूमि पर वादीया को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। वादीया अपने हिस्से की तनकी को साबित करने में असफल रही है इसलिए तनकी नं. 1 का निणर्य खिलाफ वादीया तय किया जाता है।

2– **तनकी नं. 2**:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीया पर ही था। वादीया तनकी नं. 1 के विवेचन में अपने हक अधिकार साबित करने मे असफल रही है। ऐसी स्थिति में बिना किसी विधिक अधिकार के वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है। अतः तनकी नं. 2 का निर्णय भी वादीया के विरूद्ध तय किया जाता है।

3– तनकी नं. 3:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान प्रकट किया है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 व 3 में विवादित भूमि चारागाह दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में उन्हीं दस्तावेजात को पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। विवादित भूमि चारागाह होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। वादीया का दावा खारीज योग्य है। प्रदर्श– 1 व 3 में विवादित भूमि स्पष्ट रूप से चारागाह दर्ज होने से तनकी नं. 3 प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

4— तनकी नं. 4:— इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 1 पर ही है। वादीया ने अपने वाद पत्र में स्वयं अंकित किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड न्यायालय में प्रकरण संख्या 2605ए/2016 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा गुण अवगुण के आधार पर निरस्त किया गया। जिसकी अपील भी वादीया द्वारा माननीय अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। संशोधन का प्रकरण पूर्व में खारीज होने से वादीया वाद के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः तनकी नं. 4 भी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकी वार विवेचन से स्पष्ट है कि वादीया ग्राम नरसाखेडी की चारागाह आराजी नं. 326मी पर खातेदारी अधिकार चाहती है जो विधिक रूप से दिया जाना सम्भव नहीं है। वादीया का दावा खारीज योग्य है।

अतः वाद वादीया साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री